

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013

जयपुर, दिनांक: 03 नवम्बर, 2018

आदेश

निर्वाचन आयोग, भारत सरकार ने मध्यप्रदेश विधानसभा के आम चुनाव दिनांक 28.11.2018 को करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्य प्रदेश की सीमा से लगती हुई राजस्थान राज्य के जिलों धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बारां एवं झालावाड़ की सीमा के 3.00 किलोमीटर क्षेत्र में दिनांक 26.11.2018 को सायं 5.00 बजे से 28.11.2018 को सायं 5.00 बजे तक एवं पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान के दिन भी "सूखा दिवस" घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,



(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप क्रमांक एफ 8(2)(22)निर्वा. /2018/9285 दिनांक 03.11.2018 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर.....
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त.....
10. जिला आबकारी अधिकारी.....
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव